भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–05/2017–18

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

श्री सुरेन्द्र यादव, पिता–स्व0 सीताराम यादव एवं अन्य–01 ..... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, मुसाबनी) .....विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
10.05.2018	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता श्री सुरेन्द्र यादव तथा श्री बिरेन्द्र यादव, दोनो के पिता–स्व0 सीताराम यादव, निवासी ग्राम–ग्वाला बस्ती, पोस्ट एवं थाना–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, मुसाबनी) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–8 R27/2017–18/मुसाबनी में दिनांक–08/09/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–8 R27/2017–18/ मुसाबनी प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से Sale of deed No.388, दिनांक – 19/04/2017 की छायाप्रति, लगान रसीद, खतियान, मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली की छायाप्रति आदि कागजात दाखिल किया गया हैं। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया गया हैं कि मौजा–बादिया, थाना नं0–166, खाता नं0–315, प्लॉट नं0–759, रकवा–0.10 एकड़ भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, मुसाबनी के कार्यालय में आवेदन किया था, जिसमें अंचल अधिकारी, मुसाबनी ने अपने आदेश दिनांक–08/09/2017 द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं। अपीलकर्त्ता, बिक्रेता भू–स्वामी बी0 नागेश्वर राव, पिता–स्व0 बी0 कृष्णा राव, ग्राम–बादिया, थाना–मुसाबनी से निबंधित बिक्री केवला संख्या–388, दिनांक–19/04/2017 द्वारा क्रय किया गया हैं, जो प्रश्नगत भूमि का उत्तराधिकारी हैं। आवेदक का कथन है कि उक्त भूमि दान दलील संख्या–1988, दिनांक–08/03/1978 द्वारा श्रीमती सुभद्रा आम्मा, पति–स्व0 बी0 अपल नरसिंग के नाम से दान किया गया है, जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या–78/1982–83, दिनांक–18/08/1982 हैं। सुभद्रा आम्मा के मृत्यु के पश्चात उनके पति के भाई बी0 सीताराम स्वामी एवं बी0 कृष्ण राव उक्त भूमि के उत्तराधिकारी हुए। बी0 सीताराम स्वामी का भी निःसन्तान मृत्यु हो गया तथा बी0 कृष्ण राव एवं उनकी धर्म पत्नी का भी मृत्यु हो गया हैं। अन्ततः बी0 कृष्ण राव का उत्तराधिकारी श्री बी0 नगेश्वर राव हुए। वर्त्तमान अपीलकर्त्ता श्री सुरेन्द्र यादव एवं श्री बिरेन्द्र यादव दोनो के पिता–स्व0 सीताराम यादव द्वारा उक्त भूमि का खरीद किया गया हैं।	

अपीलकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा बिना विस्तृत जाँच–पड़ताल, अपीलकर्त्ता को साबुत पेश करने का अवसर नहीं देना तथा कागजात देखें बिना ही नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिया गया हैं। आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अपने नाम से नामान्तरण करने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

दिनांक–22/02/2018 को श्री राम यादव, पिता–स्व0 परमेश्वर यादव पता–मुसाबनी नं0–3, थाना–मुसाबनी द्वारा एक आवेदन पत्र इस न्यायालय को दाखिल करते हुए उन्हें Intervenor बनाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। Intervenor की ओर से दिनांक–26/03/2018 को written argument दाखिल किया गया हैं। उन्होंने दाखिल लिखित बहस के माध्यम से सूचित किया गया है कि हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा विधिवत स्थालीय जाँच पड़ताल करने के पश्चात ही अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया गया हैं। हल सर्वे 1964 के खतियानी रैयत के द्वारा अपीलकर्त्ता को भूमि हस्तांतरण नहीं किया गया हैं। आवेदित भूमि मौजा–बादिया, थाना नं0–166, खाता नं0–315, प्लॉट नं0–759, रकवा–0.10 एकड़ जमीन बी0 नगेश्वर राव, पिता–स्व0 कृष्णा राव वैद्य उत्तराधिकारी नहीं होने के वबजुद अपीलकर्त्ता को भूमि बिक्री किया गया हैं। मुखिया, ग्राम पंचायत, बादिया का वंशावली के अनुसार श्रीमती सुभद्रा आम्मा के निःसंतान मृत्यु के पश्चात बी0 सीताराम स्वामी एवं बी0 कृष्ण राव उनके वैद्य उत्तराधिकार रहें हैं। संलग्न वंशावली के अनुसार बी0 सीताराम स्वामी का मृत्यु के पश्चात उनका कोई वैद्य उत्तराधिकारी का उल्लेख नही किया गया हैं। परन्तु बी0 कृष्ण राव का वैद्य उत्तराधिकार के रूप में बी0 नगेश्वर राव को दर्शाया गया हैं। जो प्रश्नगत भूमि का बिक्रेता हैं। अंचल अधिकारी, मुसाबनी के अभिलेख के अनुसार कोई भी वैद्य उत्तराधिकार मुसाबनी में नहीं रहते हैं। टाईटल सुट संख्या–30/2002 के अनुसार स्वर्गीय बी0 सीताराम स्वामी का 6 (छः) पुत्र हैं। इसलिए बी0 नगेश्वर राव को प्रश्नगत भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं हैं। विवादित जमीन पूर्ण रूप से एक तालाब हैं और चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो बिक्री केवाला संख्या–388, दिनांक–19/04/2017 द्वारा खरीदा गया हैं, बिल्कुल गलत एवं निराधार हैं। प्रश्नगत जमीन जिसका स्वरूप तालाब के रूप बादला है का Intervenor श्री सीताराम यादव का दखल–कब्जा पिछले 2004 से ही है। नामान्तरण अधिनियम के तहत भूमि का दखल में रहना एवं टाईटल नामान्तरण करने का मुख्य आधार हैं। लेकिन इस वाद में भूमि पर क्रेता / अपीलकर्त्ता का कोई दखल–कब्जा एवं टाईटल नहीं हैं। अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–8 R27/2017–18/मुसाबनी में दिनांक–08/09/2017 को पारित आदेश पूर्णतः न्याय संगत न्योचित है। अतः इस लिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए खरिज किया जाना चाहिए।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी सें प्राप्त नामान्तरण संख्या–8 R27/2017–18 /मुसाबनी में अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी, एवं अंचल निरीक्षक का

प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपीलकर्त्ता ने बिक्री दलिल संख्या–388, दिनांक–19/04/2017 द्वारा मौजा–बादिया, थाना नं0–166, खाता नं0–315, प्लॉट नं0–759, रकवा–0.10 ए0 भूमि बी0 नागेश्वर राव से खरीद किया हैं। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दलील के Recital में जमाबंदीदार सुभद्रा अम्मा के मृत्यु होने के पश्चात उनके देवरो क्रमशः बी0 सीताराम स्वामी एवं बी0 कृष्णा राव वैधानिक उत्तराधिकारी हुए। इस संबंध में मुखिया, ग्राम पंचायत बादिया का सत्यापित वंशावली की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न हैं। बी0 सीताराम स्वामी की निसंतान मृत्यु हो गई एवं उनके भाई बी0 कृष्णा राव एवं तदोपरांन्त उनके पुत्र बी0 नागेश्वर राव वर्त्तमान बिक्रेता हैं, जो उक्त भूमि का एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी मुसाबनी अंचल अन्तर्गत निवास नहीं करते है जिससे वंशावली का सत्यापन करना संभव नहीं हैं। अधिवक्ता अनादी मित्रा द्वारा दिनांक–13/07/2017 को प्रेषित नोटिस के साथ अनुलग्न के अनुसार पूर्व में माननीय मुन्सिफ के न्यायालय, घाटशिला में बी0 सीताराम स्वामी के 6 (छः) पुत्रों क्रमशः बी0 मोहन राव, बी0 बनोजी राव, बी0 नरसिंह राव, बी0 चन्द्र शेखर राव, बी0 रवि कुमार राव एवं बी0 तुलसी कुमार राव, वर्त्तमान निवास भिलाई, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश द्वारा टाईटल सूट संख्या–30/2002 दायर की गयी थी, इससे स्पष्ट होता है कि बिक्रेता द्वारा अन्य हिस्सेदारों की सहमति एवं जानकारी के बिना उक्त दलील का निष्पादन किया गया हैं, जो युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता हैं। जिसके कारण से अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया हैं।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा पारित नामान्तरण मुकदमा वाद में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, सेल डीड, माननीय मुन्सिफ के न्यायालय, घाटशिला में आवेदित टाईटल सूट संख्या– 30/2002, एवं पारित आदेश को देखा। अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा Intervenor की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। संलग्न कागजात, जाँच प्रतिवेदन को देखने से एवं दोनो विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि जमाबंदी रैयत के अन्य हिस्सेदारों से सहमति एवं जानकारी के बिना नामान्तरण की स्वीकृति देना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–8 R27/2017–18/ मुसाबनी पूनः स्पष्ट जाँच कर संन्तुष्ट होने के पश्चात नियमानुसार नामान्तरण की कार्रवाई की दिशा में वापस भेजा जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित

10.5.2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

10/5/2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c. of 1st & last order is issued.
16/07/18

c.c. of Final order is issued.
17/07/18

Digitally signed by Satyabeer Rajak
Date: 2022.06.03 15:44:26 +05:30
Location: 10.93.122.138